भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 21

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

राज्यों में फ्लोराइड संदूषण

21. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने राज्यों को निदेश दिया है कि वे अपने राज्यों में पेश आ रही फ्लोराइड की समस्या से निपटने हेतु अपने–अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के निदेश का अनुपालन कितने राज्य कर रहे हैं; और

(घ) राज्यों में फ्लोराइड की समस्या के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) मंत्रालय ने दिनांक 22 मार्च, 2017 को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस सब मिशन के तहत आर्सेनिक प्रभावित आबादी और फ्लोराइड प्रभावित आबादी को केन्द्र द्वारा फोकस्ड फंडिंग उपलब्ध करायी जाएगी जबकि मार्ग में आने वाले गैर-आर्सेनिक और गैर-फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए लागत का वहन, राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा जो प्रदत्त केन्द्रीय अंश के राज्य के समतुल्य अंश उपलब्ध कराने की राशि के अतिरिक्त होगा। जल आपूर्ति परियोजनाओं का तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन केवल संबंधित राज्य सरकारों के पास ही निहित है और केन्द्र ने राज्यों को कहा है कि वे अपने प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करें ताकि सब-मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित इन बसावटों में जल आपूर्ति परियोजनाओं का उपयुक्त केन्द्रीय अंश जारी किया जा सके। 12.7.2017 के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव अपलोड किए गए हैं।

(ग) सभी प्रभावित राज्य सरकारों ने आर्सेनिक और फ्लोराइड हेतु राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने पर सहमति जताई है।

(घ) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को सभी तीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं जिनका वे चयन कर सकते हैं जैसे सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमें, स्वच्छ एवं स्थाई भू-जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीम और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र का प्रावधान ताकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

******